

11/2013

होगामी हगामी vs तुलसीराम

RR 279/17/225

तारीख  
हुक्म

2017/00279

हुक्म या कार्यावाही मय इनिथियल्स

4A-2

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

आर जी. उग्रवाल

शंकर लाल रामो

14.9.18

~~पता वाली चैरा हुक्म / मातृपीठ मंडल के~~  
~~आदेश से पता वाली दिनांक 9.11.17 के~~  
~~अपील पुनः दिये रजिस्टर कर, अपीलान्त व हुक्मी~~  
~~के अतिरिक्त एवं देलो. व उनके अतिरिक्त~~  
~~को नोटास जारी दिये गये। अपीलान्त का~~  
~~नोटास लेते से हुक्म के जारी प्राप्त हुक्म~~  
~~अतिरिक्त अपीलान्त बाद रजिस्टर प्राप्त हुक्म~~  
~~मातृपीठ मंडल से निगरानीकर्ता अपीलान्त~~  
~~एवं से उनके उक्त आदेश को जांचारी~~  
~~लेते के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। अपीलान्त~~  
~~व उनके अतिरिक्त को नये बार रुक-रुक कर~~  
~~आवाजें दिलाई गईं, किंतु नये उपस्थित नहीं।~~  
~~अतः अपील अपीलान्त अग्रम~~  
~~द्वारा एवं अग्रम पेशी में कार्रवाई को~~  
~~जारी है। आदेश लुप्त गया।~~

राजश्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

उपरोक्त अधिकारी सरवाह प्राप्त किया गया प्रस्तुत है।

अपीलान्त / हुगापी निम्न नियोजन करणी है :-

1. यह कि प्रकरण के संबंध इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में  
 मादी तुलसीराम ने सरवाह नियत कृषि भूमि खसरा नं. 196 रजिस्ट्रार  
 बीघा 5 बिस्वा व ख नं. 1892 रजिस्ट्रार 2 बीघा 14 रजिस्ट्रार के तहत